भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2144
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

अवांछित कॉल और एसएमएस की जांच/नियंत्रण

2144. डॉ. एम. के विष्णु प्रसाद:

क्या संचार **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने अवांछित कॉल और एमएमएस को रोकने/जांचने/निवारण/नियंत्रण करके दूरसंचार उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया है/कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व निर्धारित समय-सीमा से चूकने के क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) अवांछित कॉल और एसएमएस जिन्हें अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के नाम से जाना जाता है, का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाता है। ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) जारी किए हैं जो यूसीसी पर कार्रवाई से संबंधित मुद्दे देखते हैं। ट्राई ने दिनांक 12.02.2025 के टीसीसीसीपीआर-2018 का संशोधन जारी किया है। टीसीसीसीपीआर-2018 विनियमों के पश्चात् इन विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। टीसीसीसीपीआर-2018 और निर्देशों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किए गए हैं:

i. वाणिज्यिक संचार के लिए प्राथमिकता दर्ज करना जिसमें एक दूरसंचार ग्राहक सभी वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है या प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चयनित वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है और यूसीसी के प्रेषकों के खिलाफ मोबाइल ऐप के माध्यम से संक्षिप्त कोड 1909 पर एसएमएस भेज कर तथा 1909 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ii. टीसीसीसीपीआर-2018 के उल्लंघन करने वाली पंजीकृत इकाइयों और टेलीमार्केटरों को ब्लैकलिस्ट करना।

iii. गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के खिलाफ कार्रवाई करना जैसे चेतावनी देना, उन्हें यूसेज कैप के तहत रखना या बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में डिस्कनेक्ट करना।

iv. यूसीसी पर नियंत्रण नहीं कर पाने पर एक्सेस प्रदाताओं के खिलाफ वित्तीय निरूत्साहन (एफडी) लगाना।

****